

पं कार्यालय ग्राम पंचायत-बगईकोन्हा पं

जनपद पंचायत डौण्डीलोहार, जिला-बालोद (छ.ग.)

दिनांक. 19/09/2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पंचायत डौण्डीलोहार के अन्तर्गत लोहार से बेगाडबरी से जुन्नापाकी से जोड़ी मुख्य मार्ग चौड़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि 2.98 है. का दृष्टीगत रोज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बगईकोन्हा द्वारा दिनांक. 16.09.2019 को सम्मन ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरहल चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित भूमि में आड़िकासी अधिकारिणी जैश आड़िकासी का कब्जा/कृषिभूमि कार्य नहीं है। उपर्युक्त सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आड़िकासी अधिकारिणी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। बचते अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्व

सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-लुगामी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि दोग्ग रोज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रयोक्ता एजेन्सी के परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जा रहा है।

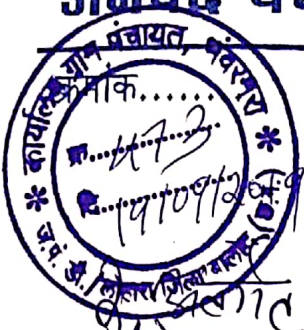
Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

ग्राम पंचायत-बगईकोन्हा
ज.प. डौण्डीलोहार (बालोद)

ग्राम पंचायत-बगईकोन्हा
ज.प. डौण्डीलोहार (बालोद)

पं कार्यालय ग्राम पंचायत भंवरमरा पं

जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक. 14/09/2019

प्रमाणित किया जाता है कि अनाप पंचायत डौण्डीलोहारा
 द्वारा निर्माण हो रहा है। इसका पानी के पीने के उद्देश्य से
 पाइपलाइन के निर्माण हेतु शासित वन क्षति 1.26 हे. तथा संरक्षित वन
 क्षति 0.22 हे. का क्लीकमाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग/संस्था के
 पक्षों से प्राप्त किया गया। परमाण्विक वन मंत्रालय द्वारा प्रभावित करने हेतु
 आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के विषय में ग्राम पंचायत भंवरमरा
 द्वारा दिनांक 13/09/2019 को संपन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य
 एजेन्सी द्वारा आवेदन क्षति के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित
 हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिनियम 2006 के
 प्रावधानों के तहत आवेदन वन क्षति में आती वाली भूभाग किसी भी
 आदिवासी या कच्चा/कृषि क्षति को नहीं है। उपरि उक्त सभी ग्रामवासी द्वारा
 स्पष्ट किया गया कि इस वन क्षति किसी भी आदिवासी भूभाग या आदिवासी
 या कच्चा/कृषि क्षति को नहीं है। इस क्षति के लिए पाइपलाइन
 निर्माण हेतु शासित वन क्षति पर ग्रामवासियों के प्राप्तागत अधिकारों का हनन
 नहीं हो रहा है। यद्यपि उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित
 किया गया कि ग्राम मंडली के ग्रामवासियों से इस वन क्षति क्लीकमाद रोड
 डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रयोज्य एजेन्सी को पाइपलाइन के निर्माण हेतु दिये जाने
 पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जाते सत्य स्पष्ट है।

Project Manager
 Chhattisgarh Road Development
 Corporation Limited
 Raipur (C.G.)

ग्राम पंचायत-भंवरमरा
 ज.पं.डौण्डीलोहारा (बालोद)

ग्राम पंचायत भंवरमरा
 ज.पं.डौण्डीलोहारा (बालोद)

कार्यालय सरपंच जूनापानी
ग्राम पंचायत जूनापानी जिला बालोद

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोहारा, रंगाडबरी, जूनापानी, चौकी (छत्तीसगढ़) को 2 लेन चौड़ीकरण मय पेव्हाड शोल्डर का निर्माण किया जाना है। निर्माण से गुजरने वाली सड़क से ग्राम पंचायत जूनापानी को कोई आपत्ति नहीं है।

लोकहित की इस परियोजना को शीघ्र निर्माण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

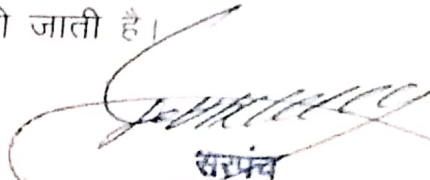
लोकेश्वरी साहू
सरपंच
ग्राम पंचायत, जूनापानी
जनपद पंचायत बीष्मी लोहारा
ग्राम जि. बालोद (छ. ग.)

कार्यालय सरपंच रेंगाडबरी
ग्राम पंचायत रेंगाडबरी जिला बालोद

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोहारा, रेंगाडबरी, जूनापानी, चौकी (छत्तीसगढ़) को 2 लेन चौड़ीकरण मय पेव्ड शोल्डर का निर्माण किया जाना है। निर्माण से गुजरने वाली सड़क से ग्राम पंचायत रेंगाडबरी को कोई आपत्ति नहीं है।

लोकहित की इस परियोजना को शीघ्र निर्माण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।


सरपंच
ग्राम पंचायत-रेंगाडबरी
ज.पं. डौण्डीलोहरा (बालोद)
ग्राम पंचायत.....